इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च 2017—फाल्गुन 12, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,

(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2017

क्र. ई-1-32-2017-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 फरवरी 2017 की तालिका (1) के अनुक्रमांक 5, जिसके द्वारा श्री प्रवीण सिंह अधयक, भाप्रसे (2012) मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत, भिण्ड को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, श्री प्रवीण सिंह अधयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,

भिण्ड को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ पदस्थ किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

> > भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2017

क्र. एफ 5-1-2015-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश

पर्यटन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्रमांक 10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2016 की कंडिका क्रमांक 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 13 जनवरी 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 04 के परिपालन में ''प्रदेश की जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश'' करता है.

अत: यह निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे.

अरविंद दुबे, उपसचिव.

प्रदेश के जल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश

- पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 13.3 के अन्तर्गत प्रदेश के जल क्षेत्रों में निजी निवेशकों को हाऊस बोट, क्रूज, मोटर बोट एवं अन्य जल क्रीड़ा गतिविधियों, गतिविधियों के लिये लायसेंस देने हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को अधिकृत किया गया है.
- 2. सर्वप्रथम, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा ऐसे, ऐसे जल क्षेत्र का अनुमोदन किया जायेगा, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लायसेंस देने के लिए अधिकृत होगा. अधिसूचित जल क्षेत्र की सूची, सूची का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र एवं मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की वेबसाईट पर किया जायेगा एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा.
- 3. ऐसे अधिसूचित जल क्षेत्र में वहन क्षमता (Carrying Capacity) का अध्ययन एवं गणना करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा. एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन साधिकार समिति के अवलोकनार्थ रखा जायेगा. जिसके आधार पर साधिकार समिति यथोचित निर्णय ले सकेगी.
- 4. चूंकि अधिसूचित जल क्षेत्रों में प्रारंभ से ही बहुत बड़े स्तर पर पर्यटन गतिविधियां संचालित होना संभावित नहीं है. अत: जल क्षेत्र के वहन क्षमता (Carrying Capacity) के अध्ययन प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने तक लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं होगी एवं इन निर्देशों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर प्रक्रिया अनुसार लायसेंस जारी किये जा सकेंगे.
- 5. अधिसूचित जल क्षेत्रों में जल पर्यटन संबंधी विभिन्न गतिविधियों में निवेश, निवेश करने हेतु निजी निवेशकों को आमंत्रित करने बावतु सार्वजनित सुचना, विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से जारी की जायेगी.
- 6. इच्छुक निवेशकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में निवेश की अभिरूचि (Intention to Invest) हेतु आवेदन किया जायेगा. इस हेतु आवश्यक जानकारी सिंहत आवेदन, आवेदन का प्रारूप मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा. यथासंभव आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी ऑनलाईन होगी. आवेदन के साथ रुपये दो हजार का आवेदन शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा.
- 7. प्राप्त आवेदनों पर सात कार्य दिवस के भीतर निगम द्वारा परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा. स्वीकृति की दशा में आवेदक को अभिस्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) दिया जायेगा, जिसका प्रारूप निगम द्वारा निर्धारित किया जायेगा.
- 8. निवेशक द्वारा हाउस बोट, क्रूज, मोटर बोट एवं अन्य प्रकार के नावों हेतु लायसेंस चाहे जाने की दशा में Indian Register of Shipping (IRS) का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा Indian Register of Shipping (IRS) तथा इसकी सहयोगी संस्था (IR Class systems and Solution Pvt. Ltd, (ISSPL) संयुक्त रूप से IR Class ब्रांड के अधीन सर्वेक्षण, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण की सेवायें प्रदान करती हैं.
- 9. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा Indian Register of Shipping के साथ सहयोग करने हेतु M.O.U. हस्ताक्षरित किया जायेगा.

- 10. नावों के अतिरिक्त अन्य उपकरणों यथा Adventure sports/Water Sports जैसे Parasailing zorbing, banana ride आदि के लिये सुसंगत राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय मानक के अनुरूप होने की अनिवार्यता होगी.
- 11. लायसेंस प्राप्त नाव अथवा अन्य जल क्रीड़ा गतिविधियों को संचालित करने, करने के लिये आवश्यक मानव संसाधन का प्रशिक्षण National Institute of Water Sports (NIWS) गोवा अथवा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा चयनित किसी अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की संस्था से कराया जाना अनिवार्य होगा.
- 12. अभिस्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) जारी करने के पश्चात् बड़ी नावों की आपूर्ति के लिए एक वर्ष तथा छोटी नावों की आपूर्ति के लिए 6 माह की समयाविध दी जायेगी, जिसके अन्तर्गत Indian Register of Shipping (IRS) से प्रमाणित नौकाओं के लायसेंस हेतु आवेदन किया जाना होगा, जिस पर निगम द्वारा लायसेंस जारी किया जायेगा बड़ी नावों से तात्पर्य चार सीटर से अधिक क्षमता वाली अथवा सभी motorised boats से है. छोटी नावों से तात्पर्य non-motoriesed एवं चार सीटर तक की क्षमता वाली नावों से है.
- 13. लायसेंस का प्रारूप मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा. लायसेंस में संबंधित नौका का विवरण एवं प्रमाणीकरण सिंहत नौका पर कुल अनुमत्य पर्यटकों की संख्या, प्रशिक्षित नाविकों की अनिवार्यता, थर्ड, थर्ड पार्टी बीमा (Insurance) सुरक्षा के उपाय यथा Life Jackets, lifebuoy आदि की अनिवार्यता का विवरण अंकित होगा. बांधों की सुरक्षा संबंधी निर्देश, प्राकृतिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़ आदि की स्थिति में दायत्वि आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा, तथा लायसेंस की शर्तों में बांधों की सुरक्षा से संबंधी निर्देश, प्राकृतिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़ आदि की स्थिति में आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाये.
- 14. बड़ी नौकाओं के लिए लायसेंस शुल्क रुपये पचास हजार तथा छोटी नौकाओं के लिये रुपये दस हजार होगा. लायसेंस का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जायेगा जोकि Indian Register of Shipping के प्रमाणीकरण के उपरान्त होगा. नवीनीकरण के लिए शुल्क बड़ी नौकाओं के लिए रुपये पच्चीस हजार एवं छोटी नौकाओं के लिये रुपये पांच हजार होगा.
 - 15. निवेशकों को लायसेंस प्राप्ति के पूर्व पर्यटकों के लिये थर्ड पार्टी इन्स्योरेंस कराना अनिवार्य होगा.
- 16. नौका तथा जलक्रीड़ा की अन्य सुविधाएं, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के बोट क्लब एवं जेट्टी से संचालित करने की दशा में पर्यटकों से लिये जाने वाले शुल्क एवं टिकिट की व्यवस्था केन्द्रीकृत होगी. एक से अधिक ऑपरेटर द्वारा सुविधाएं दिये जाने की स्थिति में रोस्टर के निर्धारण की प्रक्रिया निगम द्वारा अपनायी जायेगी. एक जैसी गतिविधियों/सुविधाओं के लिये टिकिट, टिकिट की दरें समान होगी.
 - 17. विशिष्ट गतिविधियों/सेवाओं के लिये टिकिट की दरें निर्धारित करने के लिये निजी संचालक स्वतंत्र होगा.
- 18. निवेशक द्वारा नौका अथवा जलक्रीड़ा संबंधी गतिविधियां संचालित करने के लिये स्वयं के बोट क्लब अथवा जेट्टी का निर्माण करने की स्थिति में टिकिट की दरें एवं विक्रय की उचित व्यवस्था करने के लिए वह स्वतंत्र होगा.
- 19. निजी जेट्टी/बोट क्लब के निर्माण की स्थिति में आपात परिस्थितियों में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका उपयोग किया जा सकेगा. इस शर्त का स्पष्ट उल्लेख लायसेंस में किया जायेगा.
- 20. निगम द्वारा अधिकृत व्यक्तियों/Indian Register of Shipping द्वारा अधिकृत सर्वेयर द्वारा नौका तथा जलक्रीड़ा उपकरणों का सभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रति उल्लंघन पर रुपये पांच हजार की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी एवं लायसेंस अस्थाई रूप से निलंबित किया जा सकेगा. उल्लंघन के निराकरण के उपरान्त निलंबन समाप्त किया जा सकेगा.
 - 21. लायसेंस की शर्तों का तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर लायसेंस का निरस्तीकरण किया जा सकेगा.
- 22. लायसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण के उपरान्त भी संचालक द्वारा नौका या जलक्रीड़ा उपकरणों का उपयोग कर पर्यटकों को जल पर्यटन कराने पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी.

23. लायसेंस की स्वीकृति निलंबन अथवा निरस्तीकरण से संबंधित किसी आदेश के विरुद्ध सचिव, पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन अंतिम निर्णय करने के लिए अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा. सचिव, पर्यटन विभाग तथा प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रभार एक ही व्यक्ति के पास होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा अधिकृत कोई अन्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन अपील की सुनवाई करेंगे, तथा उनका निर्णय उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा.

24. निगम को प्राप्त आवेदन शुल्क, लायसेंस शुल्क, शास्ति से प्राप्त होने वाली राशि आदि मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति-2016 की कंडिका 9.8 के अंतर्गत गठित पृथक् मद में जमा की जायेगी.

25. जल पर्यटन हेतु उपरोक्तानुसार निर्देशों के पालन एवं नियमन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होंगे.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्रमांक 10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन एतद्भारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2016 की कंडिका क्रमांक 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 13 जनवरी 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 05 के परिपालन में प्रदेश की जल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नानुसार जल क्षेत्रों की सूची अधिसूचित करता है.

अरविंद दुबे, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा लायसेंस देने के लिए अधिकृत जल क्षेत्रों की सूची

- 1. इंदिरा सागर बांध का जल क्षेत्र (नर्मदा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
- 2. ओंकारेश्वर बांध का जल क्षेत्र (नर्मदा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
- 3. तवा बांध का जल क्षेत्र (तवा, देनवा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
- 4. बरगी बांध का जल क्षेत्र (नर्मदा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
- 5. बाणसागर बांध का जल क्षेत्र (सोन एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
- 6. गांधीसागर बांध का जल क्षेत्र (चम्बल एवं अन्य सहयोगी निदयों सिहत)
- 7. मणीखेडा बांध का जल क्षेत्र (सिंध एवं अन्य सहयोगी निदयों सिहत)
- 8. हलाली बांध का जल क्षेत्र (हलाली एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
- 9. चांदपाठा बांध (जिला शिवपुरी) का जल क्षेत्र
- 10. ओरछा के निकट प्रवाहित बेतवा नदी का जल क्षेत्र
- 11. चौरल बांध का जल क्षेत्र (चौरल एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
- 12. गंगऊ बांध का जल क्षेत्र (केन एवं अन्य सहयोगी निदयों सिहत)
- 13. बारना बांध का जल क्षेत्र (बारना एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
- 14. मान बांध (धार) के जल क्षेत्र
- 15. मान नदी एवं सहायक नदियों सिहत तथा जोबट फाटा बांध (अलीराजपुर) के जल क्षेत्र
- 16. हथनी नदी एवं सहायक नदियों के जल क्षेत्र.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 20 में प्रावधानित साधिकार सिमिति की बैठक दिनाकं 5 अगस्त 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 06 के पारिपालन में प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश में संशोधनों को अधिसृचित करता है.

उक्त निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे.

प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी संशोधित निर्देश

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10-62-2016-33, दिनांक 28 फरवरी 2017 की कंडिका क्रमांक 08 एवं कंडिका 14 में निम्नानुसार अतिरिक्त पैराग्राफ जोड़ा गया है:—

- 1. निवेशक द्वारा Indian Register of Shipping (IRS) के अलावा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणीकरण एजेन्सी के चयन/अनुमोदन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, टूरिण्म बोर्ड अधिकृत होगा.
- 2. लायसेंस मूलत: 10 वर्ष के लिए होगा. इस हेतु प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्क तथा Indian Register of Shipping (IRS)/ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा प्रमाणीकरण भी प्राप्त किया जावेगा.

क्र. एफ-10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 5 अगस्त 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 06 के परिपालन में प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश के अन्तर्गत जल क्षेत्रों की संशोधित सूची अधिसूचित करता है.

उक्त निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे.

मध्यप्रदेश जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने हेतु अधिकृत जल क्षेत्रों की संशोधित सूची

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10-62-2016-33, दिनांक 28 फरवरी 2017 में वर्णित लायसेंस हेतु अधिकृत जल क्षेत्रों की सूची में निम्नानुसार 3 नये जल क्षेत्र जोड़े गए हैं:—

- 1. धोलाबाड् जलाशय का जल क्षेत्र रतलाम (जामड् नदी एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
- 2. तिघरा जलाशय का जल क्षेत्र, ग्वालियर.
- 3. किशनपुरा जलाशय का जल क्षेत्र, बेटमा, इन्दौर.

पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

Tourism Department

Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal Bhopal, dated 28th February 2017

No. 10-62-2016-Thirty three -- State Government hereby issues the instructions for procedure to grant the license for water tourism activities of state, in order to comply with the decision No.4 passed in the meeting dated 13th Jaunuary,2017 by the Empowered Committee constituted under the provision of clause No. 20 of Madhya Pradesh State Tourism Policy,2016.

Hence these instructions shall be effective from the date of issuance of Notification.

Arvind Dubey, Dy.Secrtary

Instructions for procedure of granting license for Water Tourism activities in the State.

- 1. Pursuant to clause No. 13.3 of Tourism Policy, 2016, Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Limited (MPSTDCL) has been authorized for granting licenses to the private investors for water tourism activities such as house boat, cruise, motor boat and other such water sports activities.
- 2. Initially, the Empowered Committee constituted under the Chairmanship of the Chief Secretary shall approve such water bodies wherein MPSTDCL shall be authorized for granting the license. List of water bodies shall be notified in the Gazette of Madhya Pradesh and shall be uploaded in the official website of MPSTDCL. It shall be properly publicised.
- 3. MPSTDC shall select an Expert Agency with transparent selection procedure to study and assess the carrying capacity of such notified water bodies. Such report submitted by the Agency shall be placed before the Empowered Committee for perusal. Empowered Committee shall take appropriate decision on that basis.

- 4. As initially, operations of large scale tourism activities in notified water bodies shall not be possible, hence there shall be no bar in procedural process of granting the license till the submission of study report for carrying capacity in the water bodies and license shall be issued for applications received under these instructions, as per laid down procedure.
- 5. Notice for inviting private investment/investors for water tourism in notified water bodies shall be publicised through advertisements & general notice in public domain.
- 6. Willing investors shall apply for intention to invest in the prescribed format. For this application with desired information application format shall be uploaded in the official website by MPSTDC. As far as possible procedure for the submission of applications shall be online. Submission of Rs. 2000/-(Rs. Two Thousand only) as application fee along with the application shall be essential.
- 7. MPSTDC shall scrutinize the applications received within 7 working days. In case acceptance, applicant shall be given a Letter of Acceptance under the prescribed format determined by the Corporation.
- 8. While asking license for House Boat, Cruise, Motor Boat and other type of watercrafts, submission of certification of Indian Register of Shipping (IRS) shall be must. Subsidiary of IRS i.e. IR Class Systems & Solution Pvt. Ltd; (ISSPL) jointly provides services of Survey, Inspection and certification under the brand of IR Class.
- 9. MPSTDCL shall sign an MOU with Indian Register of Shipping for cooperation.
- 10. In addition to boats and other equipments such as adventure sports/water sports parasailing zorbing, banana ride etc. shall be essentially as per consistency of national/international standards.
- 11. To operate licensed boats or other water sports activities, required human resources shall have to be trained through National Institute of Water Sports (NIWS) Goa or from any reputed national level training institute identified by the MPSTDCL.
- 12. On issuance of Letter of Acceptance a time period of one year for Big Boats and 6 months shall be given for small boats to make them available. Under

- this applications for the license for boats with the certification from Indian Register of Shipping shall have to be made and on this the MPSTDCL shall issue the license. Big boat means capacity above 4 seats and all motorized boats. Small boats mean non-motorized and up to 4 seater boats.
- 13. Format of License shall be determined by the MPSTDCL. Details of the concerned boats, certification, number of total permissible tourists, essentiality of trained sailors, third party insurance, safety measures i.e. life jackets, lifebuoy etc. shall be specifically mentioned in the license. Dam safety instructions, responsibility in case of natural calamities i.e. excess rain, flood etc. shall also be specifically mentioned in the license. Conditions of license shall mention instructions for dam safety, natural calamities such as excess rain, flood etc.
- 14. A license fee shall be for big boats Rs. 50,000/- (Rs. Fifty thousand) and Rs. 10,000/- (Rs. Ten thousand) for small boats. License renewal shall be made annually only after having certification by Indian Register of Shipping. Renewal fee for big boats shall be Rs. 25,000/- (Rs. Twenty-five thousand) and Rs. 5,000/- (Rs. Five thousand) for small boats.
- 15. Before obtaining the license Investor shall have to obtain third party insurance in favour of tourists.
- 16. In case of operation of boat and water sports facilities in the boat club or jetty of MP Tourism Development Corporation, fees chargeable from the tourists & ticketing arrangements shall be centralized. In case of such facilities extended by more than one operator MPSTDC shall devise the procedure of roaster determination. For similar activities/facilities tickets/ticket rates shall be same.
- 17. For specific activities/services Private Operator shall be free to determine the ticket rates.
- 18. In case of creation of self boat club or jetty construction for boat and water sport activity operation by the Investor, he shall be free to determine the rates of the tickets and appropriate arrangements for its sale.
- 19. License shall specifically contain the condition that in emergency situations MPSTDCL or local administration shall have the right to use these private boat clubs/jetties constructed by the Investor.

- 20. Personnel authorized by MPSTDCL /surveyor authorised by Indian Register of Shipping may/shall inspect the boat and water sport equipments and on non-observance of condition of license a penalty of Rs. 5000/- (Rs. Five thousand) per violation shall be imposed and license may be temporarily suspended. Suspension shall be revoked after the rectification of violation.
- 21. On violation of condition of license for more than 3 times license shall be terminated.
- 22. Legal action shall be initiated if water tourism to tourists is carried out by investor through boat or water sport equipments even after the termination of license.
- 23. Secretary, Government of Madhya Pradesh, Tourism Department, shall be competent to take final call against any order related to sanction, suspension & termination of license and shall be binding on both the parties. In case, the charge of Secretary, Tourism Department and the Managing Director, MPSTDCL is held by the same person, any other Secretary authorized by the State shall hear the appeal and his decision shall be final and binding to both parties.
- 24. Money received by MPSTDC against application fees, license fees, penalty etc. shall be deposited under the separate heads constituted under the clause No. 9.8 of M.P. Tourism Policy, 2016.
- 25. Managing Director, MPSTDCL shall be authorized for compliance and regulation of aforesaid instructions for water tourism.

Bhopal, dated 28th February, 2017

No. 10-62-2016-thirtythree State Government hereby notifies the list of water bodies given below, in order to comply with decision under point No. 5 of meeting dated 13th, January, 2017 of Empowered constituted under the provision of clause No. 20 of M.P. Tourism Policy, 2016.

Arvind Dubey, Dy. Secretary

List of authorised water bodies for granting of license by MPSTDC

- 1. Indira Sagar Dam (Narmada River including its tributaries)
- 2. Omkareshwar Dam (Narmada River including its tributaries)
- 3. Tawa Dam (Tawa, Denawa Rivers and its tributaries)
- 4. Bargi Dam (Narmada River and its tributaries)
- 5. Ban Sagar Dam (Son River and its tributaries)
- 6. Gandhi Sagar Dam (Chanbal River and its tributaries)
- 7. Manikheda Dam (Sindh River and its tributaries)
- 8. Halali Dam (Halali River and its tributaries)
- 9. Chand Patha Dam, district Shivpuri.
- 10. Water area of Betwa River near Orachha.
- 11. Choral Dam (Choral River and its tributaries)
- 12. Gangau Dam (Ken River and its tributaries)
- 13. Barna dam (Barna River and its tributaries)
- 14. Water areas of Man Dam
- 15. Water areas of Jobat Dam including Man River its tributaries.
- 16. Water areas of Hathani River and its tributaries.

List of Water Bodies:

- 1. Water body of Indira Sagar Dam (including Narmada and other tributaries)
- 2. Water body of Omkareshwar dam (Narmada and other tributaries)
- 3. Water body of Tawa dam (including Tawa, Denawa and other tributaries)
- 4. Water body of Bargi dam (including Narmada and other tributaries)
- 5. Water body of Bansagar Dam (including Soun and other tributaries)
- 6. Water body of Gandhi Sagar dam (including Chambal and other tributaries)
- 7. Water body of the Manikheda dam (including Sindh and other tributaries)
- 8. Water body of Halali Dam (including Halali and other tributaries)
- 9. Water body of Chandpatha Dam (District Shivpuri)
- 10. Water body of Betwa river flowing near Orchha
- 11. Water body of Chaural dam (including Chaural and other tributaries)
- 12. Water body of Gangau dam (including Ken and other tributaries)
- 13. Water body of Barna dam (including Barna and other tributaries)
- 14. Water body of Mann Dam (Dhar)
- 15. Water body of Jobat Fata Dam (Alirajpur) including Hathni River and other tributaries.

Amended Water Bodies

- 16. Water body of Dholabad Dam (Ratlam) including Jamadh River and other tributaries.
- 17. Water body of Tighra Dam (Gwalior)
- 18. Water body of Kishanpura Dam, Betma, Indore